बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण जिला में दो मोतिहारी एवं चकिया चीनी मिल था। जो कई वर्षो से बंद पड़ा है। चकिया चीनी मिल का अस्तित्व समाप्त है तथा मोतिहारी चीनी मिल का भी कई समान कबाड़ में बेच दिया गया है तथा बाकी समानों को बेचने की तैयारी है। चम्पारण के 80%किसान गन्ना का उत्पादन कर नगदी फसल के रूप में जिसको चेक या बैंक ड्राफ्ट माना जाता था जिससे गन्ना किसान अपने बच्चे-बच्चीयों को पढ़ाने से लेकर शादी करने, चिकित्सा कराने, मकान बनवाने तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य किया करते थे। मगर दोनों मिलों के बंद होने के कारण इनकी माली हालात खराब हो गयी । जो किसान गन्ना का उत्पादन करते हैं वे सिधवलिया एवं गोपालगंज के कांटा(गन्ना क्रय केन्द्रों) के संचालकों द्वारा ठगी के शिकार होते हैं।

पूर्वी चम्पारण जिला में दो अदद अत्याधुनिक मॉडल का चीनी मिल लगावे ताकि पूर्वी चम्पारण के गन्ना किसानों का पुराना सुनहरा दिन वापस आ सके ।

अत: चीनी मिल की स्थापना करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सतीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-48/2018 - 419 (1) नि०प० दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/गन्ना उद्योग विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

बिहार विधान मंडल के वर्तमान माननीय सदस्यों के आश्रितों यथा आश्रित पुत्र,पुत्री माता पिता को चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। जबकि विधान मंडल के पूर्व सदस्यों को केवल पति एवं पत्नी को चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति होती है।

अत: वर्तमान विधानमंडल के सदस्यों की तर्ज पर पूर्व माननीय सदस्यों के आश्रितों यथा पुत्र,पुत्री एवं माता-पिता को चिकित्सा भत्ता पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु सरकारसे सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- शिव प्रसन्न यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-49/2018 - 416 (1) वि० प०   दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/स्वास्थ्य विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ(एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु)प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 06/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार के प्रावधानानुसार योजनाओं के शिलान्यास एवं उदघाटन में स्थानीय विधान पार्षदों एवं विधायकों को संबंधित विभाग के पदाधिकारी द्वारा उनके शामिल होने की सूचना/निमंत्रण ससमय देना अनिवार्य है। लेकिन कतिपय स्थानों पर इस परम्परा/प्रोटोकॉल का पालन वहां के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जन प्रतिनिधियों का अपमान है।

अत: सभी योजनाओं के शिलान्यास एवं उदघाटन कार्यक्रम में संबंधित स्थानीय विधान पार्षदों एवं विधायकों को ससमय उनके शामिल होने की सूचना/निमंत्रण देकर प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि0प0अ0प्र0-50/2018 - 415 (1) वि0प0 दिनांक- 20.02.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ योजना एवं विकास विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक-06/03/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 20.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।